NDPS-664/14

28-11-2018 अभियुक्त मुन्ना साह आज तक अनुपस्थित एव फरार घोषित है। Spl. P. P. की हाजरी दी गयी। अभियोजन की ओर से प्रार्थना किया गया कि अब उन्हें u/s 299 Cr. P. C. के अंतर्गत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद काफी पुराना वर्ष 2006 का है, अभियुक्त की उपस्थिति के लिए दिनांक 03-03-2011 को NBW दिनांक 08-07-2011 को कुर्की-जब्ती, दिनांक 01-02-2012, 30-10-2012 को पुलिस अधीक्षक, कैमूर से पत्र, दिनांक 07-07-2015 को पुलिस अधीक्षक, कैमूर को स्मार-पत्र, पुनः दिनांक 20-04-2016 को कुर्की-जब्ती के तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक, कैमूर को पत्र दिनांक 16-06-2016 को u/s 82-83 Cr. P. C. निर्गत की गयी।

तदुपरान्त थाना अध्यक्ष, मोहनियाँ D.R. 3028/16 दिनांक 11-07-2016 द्वारा अभियुक्त मुन्ना साह के विरूद्ध निर्गत कुर्की-जब्ती का तामिला प्रतिवेदन जब्त समान के साथ समर्पित किया गया और अभियुक्त अब तक अनुपस्थित है।

अभियुक्त मुन्ना साह के विरूद्ध दिनांक 09-07-2018 के आदेश के आलोक में स्थायी अधिपत्र निर्गत किया गया है।

अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुन्ना साह के विरूद्ध सभी आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है एवं निकट भविष्य में इनके उपस्थित होने की सम्भावना नही है। अतः ऐसी स्थिति में इस वाद को u/s 299 Cr. P. C. के अंतर्गत इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि जब भी अभियुक्त गिरफ्तार होकर प्रस्तुत किया जाय, तब अभिलेख को प्रस्तुत करें। कार्यालय अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें।

P/W has already been issued vide D/S No. 272 10-7-18

(लेखापित)

28/11/18

सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश

कैमूर (भभुआ)